न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 081/2023
अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

बनाम

1. जसपालसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति तरखान निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हरमनसिंह पुत्र जसपालसिंह जाति तरखान निवासी कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. उपपंजीयक हिन्दूमलकोट जिला श्रीगंगानगर।

उपस्थित–	सुभाष मिढा	(प्रतिवादी 01 व 02)
	राज पैरोकार	(वादी)

दिनांकः 24 अप्रैल, 2025

–:निर्णयः–

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी. ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 बी बड़ी के खाता संख्या 136/45 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नं0 2/1/0.0360, 3/1/0.2220 हैक्टे0 नहरी इस प्रकार कुल 0.2580 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर प्लॉट काटकर आवासीय कॉलोनी के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसमें मौका पर आबादी बसी हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी पर अकृषि कार्य बिना स्वीकृति संपरिवर्तन करवाये किया जा रहा है। अतः रकबा राज हित में सिवाय चक घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यों अनुसार मौका पर चक 2 बी बड़ी के खाता संख्या 136/45 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नं0 2/1/0.0360, 3/1/0.2220 हैक्टे0 नहरी इस प्रकार कुल 0.2580 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जो मौका पर कृषि कार्य किया जा रहा है व फसल काश्त है किसी प्रकार से ना तो कोई प्लाट काटे गये है, ना ही किसी प्रकार की कोई कॉलोनी स्थापित की गयी है। यह तमाम तथ्य तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर अंकित किये हैं। कृषि भूमि को संपरिवर्तन तब करवाया जाता है जब कृषि कार्य ना कर अकृषि कार्य किया जाता है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भमि में फसल का[illegible] रही है। किसी प्रकार से भी अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि [illegible] जाना एक कठोरतम उपचार है। भूमि रिसीवर किये जाने की कोई परिस्थिति [illegible] मौजूद नहीं हैं। अप्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि भू–रूपान्तरण करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष अलग से आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2025 को प्रस्तुत कर दिया है और भू–रूपान्तरण करवाने के लिए पाबन्द रहेगा इसलिए अप्रार्थीगण को समय दिया जाना न्यायोचित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावें। स्टेट जरिये तहसीलदार एवं राज पैरोकार द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थी अगर भूमि संपरिवर्तन करवा कर अकृषि कार्य करे तो प्रकरण खारिज करने में स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:16:35 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भूमि के भू–रूपान्तरण करवाये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। परन्तु इस आधार पर जबकि भूमि संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के यहां लम्बित है, इस भूमि को रकबा राज किया जाना एक कठोर कार्यवाही होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. अप्रार्थीगण जसपालसिंह व हरमनसिंह के विरूद्ध इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थीगण तीन माह के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तन करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपान्तरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवाकर आगामी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24.04.2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:16:35 IST
Reason: SelfAttested